न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 598/10 अन्तर्गत धारा 86 Rt Act 1955

अनवान :–

प्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. उकरड़ाराम पुत्र खीमाराम, कौम मेघवाल
निवासी बींजासर, तहसील सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– पैराकार सरकार

विप्रार्थीगण वकील :– कमाल खां

निर्णय

दिनांक 27.02.18

आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 86 रा.का.अ. 1955 प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा मौजा बींजासर के खेत खसरा सं. 605/145 में अनाधिकृत बिना अनुज्ञा के हरे रोहिड़े के वृक्षों की कटाई की गई। अप्रार्थी द्वारा अपनी सहखातेदारी के खेत में बिना अनुज्ञा के हरे रोहिड़े के पेड़ काटने के पश्चात् उठाकर ले जाने की सूरत में सहखातेदार श्री देजू पुत्र सारंग के खिलाफ हरे वृक्ष काटने की शिकायत की गई। यह शिकायत अप्रार्थी को हरे वृक्ष नहीं उठाने देने के कारण की गई। अप्रार्थी द्वारा इन हरे वृक्षों की कटाई अवैध धन्धा कर बेचने की नीयत से किया जाना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे । अवैध रूप से बिना इजाजत काटने पर मौके पर जब्त सरकार कर उक्त जब्त शुदा लकड़ी की सुपुर्दगी अप्रार्थी उकरड़ाराम पुत्र खीमाराम मेघवाल साकिन बींजासर को दी गई। जिसकी अनुमानित कीमत 2000/– रूपये होना बताया गया है, अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के विरूद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, सुपुर्दगी फर्द, नकल खतौनी मय नक्शा पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कमाल खां ने वकालतनामा पेश किया। अनोकनेक अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया और जवाब का

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

अवसर समाप्त किया गया । दिनांक 20.02.18 को प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र 18.06.2007 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी उकरड़ाराम ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर रोहिड़ा के हरे वृक्ष काटने की शिकायत की जिस पर भू.अ.नि. व पटवारी द्वारा दिनांक 19.06.2007 को मौके पर जाकर शिकायत का सत्यापन किया तथा मौका फर्द तैयार की, मौके पर पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता उकरड़ाराम को वृक्षों को नहीं ले जाने दिया तो रूष्ट होकर देजू पुत्र सारंग के खिलाफ शिकायत कार्यालय तहसीलदार में की गई। मौके पर आलाखां पुत्र अमीन खां, मुसलमान, निवासी बींसासर व तारूराम पुत्र सारंगराम, मेघवाल की उपस्थिति में लकड़ियों की माप सहित जब्ती फर्द तैयार की जिस पर मौके पर उपस्थित उकरड़ाराम ने भी दस्तखत किये। जिसे तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया तथा उक्त गवाहों की उपस्थिति में जब्त की गई लकड़ी की सुपुर्दगी अप्रार्थी उकरड़ाराम को दी गई। फर्द सुपुर्दगी पर अप्रार्थी के दस्तखत है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अप्रार्थी द्वारा रोहिड़े के हरे वृक्षों की कटाई की गई है जो रा.का.अ. की धारा 83 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, धारा 86 के तहत शास्ती का दायी है, अतः आज्ञा है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा के काटे गये 4 रोहिड़े के वृक्षों के लिए अप्रार्थी पर 400 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है तथा जब्त की गई लकड़ी को अप्रार्थी के कब्जे से लेकर खुली नीलामी में बिक्री की जावे यदि अप्रार्थी द्वारा लकड़ी को खुर्द–बुर्द कर दिया हो तो लकड़ी की अनुमानित कीमत 2000/– रूपये मय ब्याज 18% वार्षिक दर सुपुर्दगी तिथि से गणना कर वसूली की जावे।

निर्णय की पालना अपील की अवधि 30 दिवस गुजरने के बाद तहसीलदार द्वारा की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.18 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन